प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06-06-18

न्यायालयः द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

जमानत आवेदन क्रमांक : 193/2018

मुमताज खान पुत्र एहसान खान आयु 35 वर्ष निवासी स्टेशन रोड गोहद चौराहा, थाना — गोहद चौराहा जिला भिण्ड(म.प्र.)—— आवेदक बनाम

पुलिस थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड (म0प्र0) — अनावेदक

06.06.18

आवेदक मुमताज खान द्वारा अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद राजौरिया उपस्थित।

राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस.बघेल उपस्थित। पुलिस थाना गोहद चौराहा से अपराध क्रमांक 192/2017 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 इजाफा धारा 307 भा0दं0सं. की केसडायरी मय कैफियत एवं क्रॉस अपराध क्रमांक 191/2017 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 भा.दं.सं. इजाफा धारा 324, 325 भा.दं. सं. की केसडायरी मय कैफियत प्रस्तुत। अवलोकन किया गया।

आवेदक के जमानत आवेदनपत्र के साथ आवेदक के भाई सोनू खान का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदनप्रत्र एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा— 439 द.प्र.सं. का है, इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदनपत्र समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही निरस्त हुआ है, और न ही विचाराधीन है। खण्डन के अभाव में सत्य मान्य किया जाता है।

आवेदक / अभियुक्त के जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदक का उक्त कथित अपराध से कोई सबंध नहीं है। आवेदक निर्दोष है, उसे रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। आवेदक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है। प्रकरण के निराकरण में विलंब लगने की संभावना है। माननीय न्ययालय की शर्तों का पालन करने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर जमानत पर रहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल द्वारा मौखिक रूप से घोर विरोध करते हुए जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है। कंस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि थाना गोहद चौराहा के अपराध कमांक—192/17 अंतर्गत धारा 323, 294, 506, 34 भा.दं.वि. के अंतर्गत प्रथम सूचना अभियुक्त/आवेदक सहित सह अभियुक्तगण के विरुद्ध लेख करायी पयी है। आहत मधु के बेड हेड टिकिट की क्वेरी रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा Dangerous to life लेख किये जाने से धारा—307 भा.दं.सं. का इजाफा किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक—24.11.2017 को अभियुक्त/आवेदक ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी मधु के शरीर के मार्मिक स्थान सिर पर एवं आहत संजू की इण्डों से मारपीट की गयी। डॉक्टर द्वारा आहत मधु के सिर की चोट राम्भीर प्रकृति की होकर जीवन के लिये घातक होना बताया गया है। मामला धारा—307 भा.दं.सं. का होकर गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्त/आवेदक के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट की गयी है, समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त/आवेदक को नियमित प्रतिभूति का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए अभियुक्त/ आवेदक मुमताज खान की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र बाद विचार निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी संबंधित आरक्षी केन्द्र भेजी जावे।

इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो । सही /-(एच.के. कोशिक)

द्वितीय अपर संत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड,

प्रतिलिपि-

थाना प्रभारी, पुलिस थाना गोहद चौराहा की ओर अपराध क्रमांक 192/17 एवं 191/17 की केस डायरी सहित सूचनार्थ प्रेषित।

> (एच.के. कौशिक) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड,